

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018—ज्येष्ठ 4, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

अधि. क्र. एफ-ए-3-17-2018-1-पांच-(48).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उपनियम (3) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक पदार्थ अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं.

पवन कुमार शर्मा, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-17-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-17-2018-1-पांच (48), दिनांक 25 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th May 2018

Noti. No. F-A-3-17-2018-1-V (48).—In exercise of the powers conferred by Ssection 48 of the Madhya Pradesh Good and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (3) of rule 83 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner on the recommendations of the Council, hereby notifies the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, as the authority to conduct the examination as per the said sub-rule.

PAWAN KUMAR SHARMA, Commissioner of State Tax.

581